भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्याय - 3532

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय सहायता की मांग

3532. श्री भोला सिंह :
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराजः
क्यार वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चीनी मिलों को आसान बैंक ऋण प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिव , खाद्य, भारत सरकार को संबोधित दिनांक 24.06.2019 के अपने पत्र के द्वारा शर्करा क्षेत्र के लिए विभिन्न अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय सुझाए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार द्वारा यह सुझाया गया है कि केन्द्र सरकार को शर्करा क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा नकदी ऋण देने/निर्धारित करने की सीमा के मानदण्डों को पुनःनिर्धारित करना चाहिए ताकि चीनी मिलों के पास किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग से बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र और गुणता के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लिए विशेष/अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

(ख): इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा चीनी फसल 2018-19 के लिए किसानों को देय गन्ने के भुगतान को आसान बनाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 02.03.2019 की अधिसूचना के तहत एक स्कीम अधिसूचित की है। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों की चीनी मिलें इस स्कीम और इसके तहत मिलने वाले ऋणों के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने माननीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के स्तर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी है राज्य के लिए अलग से विशेष आबंटन रखने की कोई गुंजाइश नहीं है।

*****